भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1807
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन में कोरोना वायरस फैलने के कारण औषध सामग्री की आपूर्ति पर प्रभाव

1807. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में सी.ओ.वी.आई.डी.-19 कोरोना वायरस के फैलने से भारत में आयात के लिए उपलब्ध चीन में विनिर्मित औषध सामग्री की कमी हो गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में दवाइयां बनाने के लिए औषध सामग्री का भंडार रखती है और चीन से आपूर्ति की कमी के कारण इस भंडार का स्तर घट गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में औषध सामग्री के भंडार की कमी के प्रभाव का आकलन किया है और क्या इससे देश में औषध कंपनियां प्रभावित होंगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): देश में अभी तक दवाइयों की कमी की कोई सूचना नहीं है। तथापि, यदि चीन में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चीन में एपीआई/केएसएम के विनिर्माण को प्रभावित करना जारी रखता है तो यह आशंका है कि चीन से एपीआई/केएसएम की आपूर्ति में बाधा पड़ सकती है।

(ख) और (ग): चीन में नए कोरोना वायरस के प्रकोप के संदर्भ में इस देश में औषधि सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए औषध विभाग ने डॉ. ईश्वरा रेड्डी, संयुक्त औषधि नियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने यह पाया है कि सम्मिश्रणों के विनिर्माण के लिए एपीआई का मौजूदा भंडार 2-3 महीनों तक पर्याप्त हो सकता है। विभाग द्वारा गठित समिति ने यह मूल्यांकन किया है कि कुछ एपीआई/केएसएम का आयात प्रभावित हो सकता है जिनका विनिर्माण मुख्य रूप से चीन के हुबई प्रांत में किया जाता है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस विभाग ने बाजार में वहनीय मूल्य पर एपीआई और सम्मिश्रणों की पर्याप्त आपूर्ति और देश में काला बाजारी और बनावटी कमी लाने हेतु गैर-कानूनी जमा खोरी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) और राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में, औषध विभाग ने 13 एपीआई और इन एपीआई का प्रयोग करते हुए विनिर्मित होने वाले सम्मिश्रणों के निर्यात को रोकने के लिए डीजीएफटी को पत्र लिखा है। एनपीपीए ने भी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं राज्य औषधि नियंत्रक को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे हैं जिसमें उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए एपीआई और सम्मिश्रणों के उत्पादन और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करने का अनुरोध किया गया है और साथ ही यह अनुरोध किया गया है कि क्रमशः अनुसूचित/गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्यों/मूल्यों में अनुमत वृद्धि के अनुपालन के संबंध में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

*****